

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-2

संख्या-22/2021/1175/छत्तीस-2-21-130/2010टी0सी0-1

लखनऊ: दिनांक: 16 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन न हो पाने के दृष्टिगत, बोर्ड के कार्यों के सुचारु संचालन हेतु, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) नियमावली, 2009 की धारा 256(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तात्कालिक प्रभाव से प्रश्नगत अधिसूचना निर्गत होने के दिनांक से छः (06) माह के लिए अथवा नियमावली की धारा 256 (1) में दी गयी व्यवस्थानुसार बोर्ड के यथोचित गठन होने तक, जो भी पहले घटित हो, माननीय राज्यपाल, श्री सुरेश चन्द्रा, अपर मुख्य सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, 30प्र0 शासन को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में प्रशासक के रूप में नियुक्त करती हैं।

मा0 राज्यपाल की ओर से

प्रेम प्रकाश सिंह

विशेष सचिव।

संख्या-22/2021/1175(1)/छत्तीस-2-2021-130/2010 टी0सी0-1 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, 30प्र0 शासन।
- 3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, 30प्र0 शासन।
- 4- महालेखाकार, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 5- श्रमायुक्त, 30प्र0 कानपुर।
- 6- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, 30प्र0।
- 7- समस्त विभागाध्यक्ष, 30प्र0।
- 8- सचिव, 30प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
- 9- गोपन अनुभाग-1 ।
- 10- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को असाधारण गजट के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

प्रेम प्रकाश सिंह

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।